न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर अरनोद (प्रतापगढ़)

प्रकरण सं. – 34/15 दायर तारीख – 17-6-15

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र रेगर (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अरनोद

केशरीमल पिता गट्टूलाल महाजन नि॰ निनोर (प्रार्थी)

बनाम

1. रुकमणी पत्नि गट्टूलाल महाजन नि॰ निनोर
2. गट्टूलाल पिता नेमीचन्द महाजन नि॰ निनोर
3. कन्हैयालाल पिता दिनेश पाटीदार नि॰ दलोट
4. तहसीलदार, अरनोद

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित :–

श्री पवन भावसार ; अधिवक्ता प्रार्थी

श्री ईश्वर चौधरी ; अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3

॰ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-212 आर.टी. एक्ट ॰

–: निर्णय :– दिनांक –

संक्षेप में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। मौजा निनोर त. अरनोद में प्रार्थी के काबिज काश्त आराजी नं. 897 रकबा 2.21 हे. है जिस पर प्रार्थी विगत 35 वर्षों से काश्त करता आ रहा है जो कि अप्रार्थी सं. 2 के पिता ने पैतृक सम्पत्ति में बंटवारे के रूप में प्रदान की परन्तु प्रार्थी नाम न करवा अप्रार्थी सं. 3 को जरिये विक्रय-पत्र रजिस्ट्री करवा दी। रजिस्ट्री का पता लगने पर अप्रार्थी सं. 3 से विवाद होने की संभावना होने पर प्रार्थना-पत्र पेश किया।

35 वर्षों से काबिज काश्त होने से एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है अतः प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूलवाद पाबंद किया जावे कि प्रार्थी की काब्जे काश्त की आराजी

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद,

र काश्त करने में रुकावट पैदा नहीं करे तथा ना ही रहन बय बेचान इत्यादि करे।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से ईश्वर चौधरी ने जवाब पेश किया तथा अप्रार्थी सं. 3 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। बहस प्रार्थना-पत्र पर उभयपक्ष की सुनी गयी।

अपनी बहस में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों का कथन करते हुये निवेदन किया कि आराजी खसरा 897 रकबा 2.21 है जिसमें पारिवारिक बंटवारे में एक अनुसार हिस्सा प्राप्त हुआ है जिस पर विगत 35 वर्षों से काश्त कर रहा हूँ। इसमें से कुछ हिस्सा अप्रार्थी सं. 3 को बेच दिया गया। इस में अगामी तारीख पेशी तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की गयी है। अतः निवेदन है कि अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला मुकदमा कन्फर्म किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने अपने प्रत्युत्तर में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी न होकर स्वअर्जित है जिसका अन्तरण करने का अधिकार अप्रार्थी 1 व 2 को है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का कोई कब्जा भी नहीं है बल्कि हमारा कब्जा है। विशेष कथन जवाब प्रार्थना-पत्र में अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने कथन किया कि हल्कागत आराजी [illegible] बाई की माता की स्वअर्जित होकर उनकी मृत्यु उपरान्त उसके खाते दर्ज हुयी है वही कानूनन मालिक होने से निष्पादित बेचान 0.17 है अप्रार्थी सं. 1 को अपने-अपने पति के इलाज के लिए किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र गलत होने से सव्यय खारिज किया जावे।

मैंने प्रार्थना पत्र-जवाब प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज जमाबंदी सम्वत 2066-69 का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर गहन अध्ययन किया तथा विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया।

जाहिर हुआ कि अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का प्रार्थना-पत्र में मात्र अपूरणीय क्षति का उल्लेख किया गया। प्रथम दो सिद्धान्तों का कहीं उल्लेख नहीं है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के नाम पर मात्र जमाबंदी संवत 2066-69 पेश की है जिससे यह निष्कर्ष

उपखण्ड अधिकारी,
अरनोद,

कहना असम्भव है कि आराजी पुश्तैनी है तथा कब्जे को लेकर भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी अपने पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रहा जिससे शेष दो बिन्दु सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में अवलम्बित नहीं होते है।

निष्कर्षत: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य अपूर्ण, असमुचित होने एवं प्रार्थना-पत्र के तीन सिद्धान्तों का प्रमाणन नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ नत्थी की जावे।

निर्णय लिखा जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी [illegible]/21
पीठासीन अधिकारी